

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी  
समक्ष—श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 774/2013  
संस्थित दिनांक— 16.12.2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—

आरक्षी केन्द्र—अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियोजन

वि रू द्ध

रिंकु पिता रणजीतसिंह राजपुत,

उम्र 28 वर्ष, हनुमान मोहल्ला अंजड़

.....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण द्वारा	— श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 22/12/2016 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 342/2013 के आधार पर दिनांक 04.12.2013 को रात्रि में लगभग 9:00 बजे ग्राम चकेरी में फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसके निवास स्थान में प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन करने, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आराधिक बल का प्रयोग करने, उसको जमीन पर गिराकर तथा धारदार नाखूनों से नोचकर उपहति कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा 457, 354, 324 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया आरोपी को जानती है तथा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2013 को फरियादिया ने आरोपी के विरुद्ध थाना अंजड़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम चकेरी में रहती है तथा मजदूरी करती है उसके पति की 5 महीने पहले मृत्यु हो गयी है। रात को वह खाना खाकर सो गयी थी, रात्रि 9:00 बजे वह घर के बाहर आई और वापस अंदर गयी तो अंजड़ का रिंकु उसके घर में जबरदस्ती घुस गया और बुरी नियत से उसे पकड़ लिया और नाखूनों से नोच लिया तथा जमीन पर गिराकर उसके उपर बुरी नियत से बैठ गया बाद में दरवाजा खोलकर चिल्लाती हुई घर से बाहर भागी तो पड़ोसी मंशाराम मानकर, समोतीबाई मानकर तथा मोहल्ले के अन्य लोग भी आ गये तो रिंकु उन्हें देखकर भाग गया उसकी बच्ची की तबियत खराब होने से व रात्रि का समय होने से वह सुबह रिपोर्ट कराने आई है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ में उक्त अपराध क्रमांक 342/13 दर्ज कर, फरियादिया का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफ्तार कर बाद अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत

किया गया।

4— अभियोग-पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. 457, 354, 323, 324 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

5— विचारण के दौरान फरियादियां ने अभियुक्त से राजीनामा किये जाने के आधार पर अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा भा.द.वि. की धारा 453, 354, 324 के लिये निर्णय किया जा रहा है।

6— प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि —

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.12.2013 को रात्रि के लगभग 9:00 बजे ग्राम चकेरी में फरियादिया के निवास स्थान में उसकी लज्जा भंग करने के आशय से निवास स्थान में घुसकर रात्रि गृह भेदन किया?
2	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसे नोचकर और उसके उपर बैठकर उस पर हमला कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व एवं स्थान पर फरियादिया को नुखीले नाखूनों से नोचकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3 का निराकरण :-**

7— उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एक-साथ किया जा रहा है।

8— उक्त विचारणी प्रश्नों के संबंध में फरियादिया (अ.सा.1) का कथन है कि वह ढाई से तीन वर्ष पहले अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थी, तभी अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुसा और उसके साथ झूमाझपटी की, तो उसके चिल्लाने पर वह व्यक्ति भाग गया, उसने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन थाना अंजड में की थी जो प्रदर्श पी 1 है। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था और घटना स्थल का नक्शा मौका उसकी निशांदेही से बनाया था। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह बाथरूम कर के घर के अंदर जा रही थी तभी अभियुक्त उसके घर के अंदर जबरदस्ती घुस गया और बुरी नियत से उसकी छाती को पकड़ा और नाखूनों से नोंच लिया था तथा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसे जमीन पर गिराकर उसके उपर बैठ गया। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने

प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में और प्रदर्श पी 3 के कथन में आरोपी का नाम बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि राजीनामा होने से आरोपी के पक्ष में कथन कर रही है।

9— जगदीश कलमे (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 05.12.2013 को फरियादिया ने आरोपी रिकु द्वारा उसके घर में घुसकर उसकी लज्जा भंग करने के लिये उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने उक्त रिपोर्ट फरियादिया को पढ़कर सुनाई थी, जिस पर फरियादिया ने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में डी से डी, ई से ई और एफ से एफ, जी से सी भागों पर काट-छाट की गई है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि अंजड़ में रिकु नाम के कितने व्यक्ति निवास करते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने फरियादी से आरोपी की पहचान नहीं कराई थी।

10— सुरेश महाले (अ.सा.3) का कथन है कि थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 342/13 की विवेचना के दौरान उसने फरियादी की निशां देही से प्रदर्श पी 2 का नक्शा मौका बनाया था। उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे तथा बाद विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादिया से आरोपी की पहचान नहीं कराई थी और एक ही गांव में एक नाम और पिता के नाम के व्यक्ति भी हो सकते हैं।

11— ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी स्वयं ने आरोपी से राजीनामा किया है तथा उसने आरोपी के विरुद्ध कोई भी कथन नहीं किये, तो फरियादी के पक्ष विरोधी हो जाने से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा आरोपी उक्त अपराध या अन्य कोई अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उसके विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता।

12— अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी रिकु पिता रणजीतसिंह राजपुत, उम्र 28 वर्ष, निवासी हनुमान मोहल्ला अंजड़ को भा.द.वि. 457,354,324 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

13. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

14. अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

15. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.